

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

जिला न्यायालय परिसर

Email-Id :- dlsa2alwar@gmail.com

Phone:- 0144-2940098

क्रमांक:- 2026/संविदा(च.श्रे.क.)/ 2427

दिनांक:- 19/03/26

—:विज्ञप्ति:—

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ-7(136)/रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2026/156 दिनांक 10.03.2026 के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08(1) विधि-2/विरस (64) /2015 पार्ट II दिनांक 03.02.2026 एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के संशोधित आदेश क्रमांक एफ-7(136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा/2026/195 दिनांक 19.03.2026 के अनुसरण में विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा सेवा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027) तक अथवा नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता की दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार के विभागो/पीसएयू से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर, अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियाँ एवं स्थाई लोक अदालत, अलवर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा सेवाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027) तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो) हेतु निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिको/राज्य सरकार के विभागो से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ निम्नानुसार ली जानी हैं:-

संवित्तुत कामिका/ रज्य सरकार क पिनगा स प्रतापुनरि र रर

शर्त:-

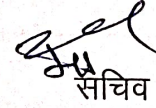
- उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा:-
 - उक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी।
 - सेवानिवृत्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर संबंधित विभाग के माध्यम से उनके कर्मचारी।
- ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेंगे। उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अधीन प्रभावी रहेंगी। उक्त सेवाएँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदों के अनुसार ली जावेगी।

19/3/26

3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
4. ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
5. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अधीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 24.03.2026 को कार्यालय समय तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-

- विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
- अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति
- पीपीओ की प्रति
- विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न है)


 सचिव

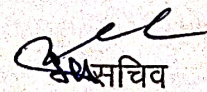
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 (अपर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)

अलवर (राज0)

दिनांक:- 19/03/26

क्रमांक:- 2428 - 2479

- 1 श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
- 2 श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
- 3 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
- 4 श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
- 5 समस्त अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समितियाँ, जिला अलवर को जरिये ई-मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 6 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
- 7 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अलवर को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8 नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
- 9 आदेश संबंधित पत्रावली।


 सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
 अलवर (राज0)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर (राज0)

५ राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संबध में पुनर्नियुक्ति सेवाए लेने के लिए आवेदन-पत्र ५

- 1 सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 जन्म तिथि :
- 4 पूर्ण पता :
- 5 आयु दिनांक (दिनांक 31.03.2026) : वर्ष.....माह.....दिन.....
- 6 अर्हताएं :
- 7 मूल विभाग का नाम :
- 8 सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :
- 9 अनुभव :
- 10 सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
(रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे/पे-लेवल)

(एलपीसी संलग्न है)

11. मूल पेंशन राशि :

(पीपीओ प्रति संलग्न है)

12. धारित पद का वेतनमान :

(सेवानिवृत्ति के समय)

13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :

(संलग्नानुसार है)

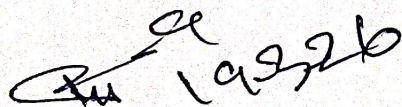
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्ति कर्मचारी
के हस्ताक्षर



विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 01 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी.....जो सेवानिवृत्ति से पूर्व...
.....पद पर इस विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती.....मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे/पे-लेवल)..... आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती..... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

